रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 513] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 18, 1984/आश्विन 26, 1906
No. 513] NEW DELHI, THURSDAY, OCT. 18, 1984/ASVINA 26, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1984

का० आ० 796 (अ) :—कम्पनी विधि बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि पंजाब वायरलैस सिस्टमस लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय चंडीगढ़ में है और पंजाब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय चंडीगढ़ में है और जो दोनों कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित हैं तथा जो दोनों पंजाब राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डैवलेपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन समनुषंगी और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अधीन सरकारी कंपनी हैं, पंजाब राज्य सरकार के उन एककों के, जो इलैक्ट्रोनिक यंत्रों, संघटकों और सामग्रियों के विनिर्माण में लगे हैं और पंजाब राज्य में अवस्थित हैं, सुदक्ष और मितव्ययितापूर्ण विस्तार तथा संचालन के प्रयोजन के लिए, और उपस्कर कार्मिक और सामग्री के अपर्याप्त साधनों को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए तथा उन एककों में निधि का और अच्छा समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, एक कंपनी में समामेलित पर दिया जाए ;

और प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की एक-एक प्रति उक्त प्रत्येक कम्पनी यथा मैसर्स पंजाब वायरलैस सिस्टमस लिमिटेड और मैसर्स पंजाब सेमीकंडक्टर्स डिवाईसिस लिमिटेड को भेजी गई थी, और उनसे प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है।

अतः कपनी विधि बोर्ड, भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० 443 (अ), तारीख, 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त दोनों कंपनियों को एक

कंपनी में समामेलित करने का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—इस आदेश का संक्षिप्त नाम पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लिमिटेड और पंजाब सेमी-कंडक्टर डिवाइसेज लिमिटेड (सम्मामेलन) आदेश, 1984 है।

2. परिभाषाएं—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है ;

(ख) "विघटित कंपनी" से पंजाब सेमी-कंडक्टर डिवाइसेज लिमिटेड अभिप्रेत है ;

(ग) "नवगठित कंपनी" से पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लिमिटेड अभिप्रेत है ;

3. (क) समामेलन के प्रयोजन के लिए, पंजाब सेमी-कंडक्टर डिवाइसेज लिमिटेड का दस रुपए वाला साधारण शेयर मात्र एक रुपए मूल्यांकित किया जाता है और पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लिमिटेड पंजाब सेमी-कंडक्टर डिवाइसेज लिमिटेड में अपने दस पूर्ण समादत्त साधारण शयरों के विनिधान को पूरा करने के लिए पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंण्ट कारपोरेशन को अपने एक मात्र दस रुपए के एक पूर्ण समादत्त साधारण शेयर जारी करेगा।

(ख) पंजाब वायरलैस सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर धारण का स्वरूप

पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लिमिटेड, जो पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन समनुषंगी है और उसकी 30 जून, 1982 को साधारण शेयर पूंजी 30,00000 रुपए (तीस लाख रुपए मात्र) है जो कि दस-दस रुपए के तीन लाख शेयरों के रूप में है। संपूर्ण शेयर पूंजी, सिवाय अंशदायकों के 70 शेयरों के, पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड को आबंटित है और उसके द्वारा अभिदत्त है और यह शेयर पूंजी दस दस रुपए के 2,99,930 शेयरों के रूप में है। आज की तारीख में साधारण शेयर पूंजी 6,70,000 जो दस-दस रुपए के साधारण शेयरों के रूप में है। 37,000,00 रुपए (सैंतीस लाख रुपए मात्र) की समस्त अतिरिक्त शेयर पूंजी पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड को आबंटित की गई है।

(ग) पंजाब सेमी-कंडक्टर डिवाइसेज लिमिटेड के शेयर साधारण का स्वरूप

(घ) पंजाब सेमी-कंडक्टर डिवाइसेज लिमिटेड, जो कि पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डैवलपमण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन समनुषंगी है, की समीकरण शेयर पूंजी 53,000,00 रुपए (तिरेपन लाख रुपए मात्र है) जो 30 जून, 1982 को दस-दस रुपए के 5,30,000 शेयरों के रूप में है। इसके अतिरिक्त 1,000,00 रुपए (एक लाख रुपए मात्र) की अतिरिक्त शेयर पूंजी जो 10,000 साधारण शेयरों के रूप में है, पंजाब इंडस्ट्रियल डैवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड को 30, जून, 1983 को, यथास्थित, रूप में आबंटित है।

(घ) पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डैवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड के शेयर साधारण का स्वरूप

पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सम्पूर्ण शेयर पूंजी, निगम के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों के हस्ताक्षरकर्ताओं के अतिरिक्त, पंजाब सरकार द्वारा प्रतिभूत है ।

(ङ) नवगठित कंपनी प्रत्येक व्यक्ति को जिसका नाम नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में है, एक सूचना, उसे आबंटित शेयरों की विशिष्टियों के साथ और ऐसे शेयरों के लिए एक आबंटन पत्र, रजिस्ट्री रसीदी डाक से भेजेगी। नवगठित कंपनी द्वारा एक सूचना विघटित कंपनी के शेयरधारकों को सूचनाओं का भेजा जाना अधिसूचित करते हुए, कम से कम दो समाचारपत्रों में (जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा) प्रकाशित करेगी।

4. कंपनियों का समामेलन :—

(1) नियत दिन से ही, विघटित कंपनी का उपक्रम उसके बिल्लममों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, तथा पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड को 10 रुपए वाले 53,000 पूर्ण समादत्त साधारण शेयरों के आबंटन के प्रतिफल स्वरूप पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लिमिटेड को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे और यह कंपनी, ऐसे अन्तरण पर तुरन्त, ऐसे समामेलन से नवगठित कंपनी समझी जाएगी।

(2) लेखा प्रयोजनों के लिए समामेलन, उक्त दोनों कंपनियों के 30 जून, 1982 को विद्यमान लेखा-परीक्षित लेखाओं के प्रतिनिदेश से प्रभावी होगा और उसके पश्चात् किए गए संव्यवहारों को एक सामान्य लेखा में पूलित किया जाएगा । विघटित कंपनी से किसी पश्चात्वर्ती तारीख को यथाविद्यमान अंतिम लेखा तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और नवगठित कंपनी 30 जून, 1982 को यथाविद्यमान तुलनपत्र के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों को ग्रहण कर लेगी और उसके पश्चात् हुए सभी संव्यवहारों का पूरा उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी ।

स्पष्टीकरण : इस आदेश के प्रयोजनों के लिए "विघटित कंपनी के उपक्रम" के अन्तर्गत सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी संगम या स्थावर सम्पति है जिनके अन्तर्गत नकद अतिशेष, आरक्षितियां, आमदनी अतिशेष, विनिधान तथा ऐसी सम्पत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य हित और अधिकार जो हैं नियत दिन

के ठीक पूर्व विघटित कंपनी के हैं या उसके कब्जे में हैं और उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेजों हैं और विघटित कम्पनी के उस समय विद्यमान सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं भी है चाहे वे किसी भी प्रकार की हों।

5. सम्पत्ति की कतिपय मदों का अन्तरण—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को विघटित कंपनी के सभी लाभ या हानियों, या दोनों यदि कोई हों, और विघटित कंपनी की आकस्मिक आरक्षितियों या कमियों, या दोनों, यदि कोई हैं, तब नवगठित कंपनी को अन्तरित की जाएं, नवगठित कंपनी के, यथास्थिति, लाभ या हानि तथा आमदनी आरक्षिति या कमी का भाग बन जाएंगी।

6. संविदाओं आदि की व्यावृत्ति—इस आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र करार और अन्य लिखत चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, जिनमें विघटित कंपनी एक पक्षकार है, और जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावशील थी, नवगठित कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतः बलशील और प्रभावशील होंगे और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप से प्रवृत किया जा सकेगा मानों विघटित कंपनी की बजाय नवगठित कंपनी उनकी एक पक्षकार थी।

7. विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति यदि, नियत दिन को विघटित कंपनी द्वारा उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन, अपील या किसी भी प्रवृत्ति की अन्य विधिक कार्यवाही लंबित है तो वह विघटित कंपनियों के उपक्रम के नवगठित कंपनी को अन्तरित हो जाने के कारण या इस आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण, उपशमित नहीं होगी या उसे बन्द नहीं किया जाएगा अथवा किसी भी प्रकार उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपितु वह वाद, अभियोजना, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही, नवगठित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक जारी रखी जा सकेगी, अभियोजित और प्रवर्तित की जा सकेगी जिस रीति से और जिस सीमा तक वह, इस आदेश के न किए जाने की दशा में, विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाती, या अभियोजित और प्रवर्तित की जाती या जारी रखी जा सकती थी, या अभियोजित और प्रवर्तित की जा सकती थी।

8. कराधान की बाबत उपबंध—नियत दिन के पूर्व विघटित कंपनी द्वारा किए गए कारबार के लाभों और अभिलाभों (जिसके अंतर्गत संचित हानियाँ और समामेलित अवक्षयण भी है) की बाबत सभी कर नवगठित कंपनी द्वारा उसी सीमा तक संदेय होंगे जिस सीमा तक वे इस आदेश के न किए जाने की दशा में विघटित कंपनी द्वारा संदेय होते और ऐसा कराधान ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, इस समामेलन के परिणामस्वरूप अनुज्ञात हों।

9. विघटित कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबंध—विघटित कंपनी में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (जिनके अंतर्गत कंपनी के निदेशक नहीं हैं) नियत दिन से ही, नवगठित कंपनी का, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी बन जाएगा और वह उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जैसा वह, इस आदेश के न किए जाने की दशा में, विघटित कंपनी के अधीन धारण करता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक नवगठित कंपनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तें पारस्परिक सहमति द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं।

10. निदेशकों की स्थिति—विघटित कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो नियत दिन के ठीक पूर्व, उस हैसियत में पद धारण कर रहा था, नियत दिन को, विघटित कंपनी का निदेशक नहीं रहेगा।

11. पंजाब सेमीकंडक्टर डिवाइसेज लिमिटेड का विघटन—इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से, पंजाब सेमीकंडक्टर डिवाइसेज लिमिटेड विघटित हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति विघटित कंपनी या उसके किसी निदेशक या अधिकारी के विरुद्ध, ऐसे निदेशक या अधिकारी के रूप में उसकी हैसियत में, कोई दावा, मांग या कार्यवाही, सिवाय वहां तक जहां तक कि इस आदेश के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक है, नहीं करेगा।

12. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण—कंपनी विधि बोर्ड, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित होने के पश्चात् यथाशीघ्र, कंपनी रजिस्ट्रार, पंजाब, चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, जालन्धर को इस आदेश की एक प्रति भेजेगा और उसकी प्राप्ति पर कंपनी का रजिस्ट्रार, पंजाब, चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, जालन्धर, नवगठित कंपनी द्वारा विहित फीस का संदाय कर दिए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा।

13. नवगठित कंपनी के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद—पंजाब वायरलैस सिस्टम्स लिमिटेड के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद, जैसे कि वे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान थे, नियत दिन से ही, नवगठित कम्पनी के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद हो जाएंगे।

कंपनी विधि बोर्ड के आदेश से

[सं० 24/21/83-सी० एल०-III]

स० म० दूगड़, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

ORDER

New Delhi, the 16th October, 1984

S.O. 796(E):—Whereas, the Company Law Board is satisfied that for the purposes of efficient and economical expansion and working of units of the Punjab State Government engaged in the manufacture of electronic instruments, components and materials and situated in the State of Panjab and for the purpose of securing the scarce resources of equipment, personnel and material and ensuring better coordination in policy in the units, it is essential, in the public interest that Punjab Wireless System Limited having its registered office at Chandigarh and Punjab Semi-Conductor Devices Limited having its registered office at Chandigarh, both incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and, both wholly owned subsidiaries of Punjab State Industrial Development Corporation Limited, a wholly owned undertaking of the Punjab State Government and a Government company under section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) be amalgamated into a single company;

And whereas, a copy of the proposed Order has been sent in draft to the companies aforesaid namely, M|s. Punjab Wireless Systems Limited and M|s. Punjab Semi-Conductor Devices Limited and the suggestions and objections received from them have been duly considered by the Company Law Board.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the Notification of the Government of India in the Department of Company Affairs No. GSR. 443(E), dated the 18th October, 1972, the Company Law Board hereby makes the following Order to provide for the amalgamation of the said two companies into a single company, namely :—

1. Short title :—This Order may be called the Punjab Wireless Systems Limited and the Punjab Semi-Conductor Devices Limited (Amalgamation) Order, 1984.

2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires—

(a) "appointed day" means the date on which this Order is notified in the Official Gazette;

(b) "dissolved Company" means the Punjab Semi-Conductor Devices Limited;

(c) "resulting Company" means the Punjab Wireless Systems Limited.

3. (a) For the purpose of amalgamation the Equity Shares of Rupees Ten each of Punjab Semi-Conductor Devices Limited is valued at Rupee one only and Punjab Wireless systems Ltd. would issue its one fully paid-up equity share of Rupees Ten only to Punjab State Industrial Development Corporation Ltd., in satisfaction of its investment of ten fully paid-up equity shares in Punjab Semi-Conductor Devices Limited.

(b) Shareholding pattern of Punjab Wireless Systems Limited.—The Punjab Wireless Systems Limited, a wholly owned subsidiary of Punjab State Industrial Development Corporation Limited having equity share Capital amounting to Rs. 30.00 lakhs (Rupees thirty lacs only) consisting of three lacs shares of Rs. 10 each as on 30th June, 1982. All the shares apart from subscribers 70 shares are allotted and subscribed by Punjab State Industrial Development Corporation Limited consisting of 2,99,930 shares of Rs. 10 each. The position of Equity Share Capital as on date is 6,70,000 Equity Shares of Rs. 10 each All the additional share Capital of Rs. 37.00 lacs (Rupees thirty seven lacs only) have been allotted to Punjab State Industrial Development Corporation Limited.

(c) Shareholding pattern of Punjab Semi-Conductor Devices Limited.—The Punjab Semi-Conductor Devices Limited, a wholly owned subsidiary of Punjab State Industrial Development Corporation Limited is having Equity Share Capital amounting to Rs. 53.00 lacs (Rupees fifty three lacs only) consisting of five lacs thirty thousand shares of Rs. 10 each as on 30th June, 1982. An additional Share Capital amounting to Rs. 1.00 lac (Rupees one lac only) consisting of 10,000 Equity shares have also been allotted to Punjab State Industrial Development Corporation Limited as on 30th June, 1983.

(d) Shareholding pattern of Punjab State Industrial Development Corporation Limited.—The whole of the Share Capital of Punjab State Industrial Development Corporation Limited have been subscribed by Punjab Government, apart from shareholding of the subscribers to Memorandum and Articles of Association of the Corporation.

(e) The resulting Company send by Registered post acknowledgement due to every person whose name appears immediately before the appointed day in the Register of Members of the dissolved Company, a notice giving particulars as to the allotment of shares to him and allotment letter for such shares. A notice shall also be published by the resulting Company in at least 2 Newspapers (one of which shall be in the Regional Language) notifying the despatch of the notices to the shareholders of the dissolved Company.

4. Amalgamation of the Companies :—

(1) On and from the appointed day, the undertaking of the dissolved Company, subject to encumbrances thereof, if any, and in consideration of allotment of 53,000 fully paid-up equity shares of Rs. 10 each to Punjab State Industrial Development Corporation

Limited shall stand transferred to and vest in the Punjab Wireless Systems Limited, which company shall, immediately on such transfer, be deemed to be the company resulting from the amalgamation.

(2) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts as on the 30th June, 1982 of the two Companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved Company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance sheet as on the 30th June, 1982 and accept full responsibility for all transactions thereafter.

Explanation :—The "undertaking of the dissolved Company" shall include all rights, powers, authorities and privileges and all property, movable or immovable, including cash balances, reserves, revenue balances, investments and all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to, or be in the possession of the dissolved Company immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligations of whatever then existing of the dissolved Company.

5. Transfer of certain items of property :—For the purpose of this Order, all the profits or losses, or both, if any, of the dissolved Company as on the appointed day, and the revenue reserves or deficits, or both, if any, of the dissolved Company when transferred to the resulting Company shall respectively form part of the profits or losses, and the revenue reserves or deficits, as the case may be, of the resulting Company.

6. Saving of Contracts etc.—Subject to the other provisions contained in this Order, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved Company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall have full force and effect against or in favour of the resulting Company and may be enforced as fully and effectually, as if, instead of the dissolved Company, the resulting Company had been a party thereto.

7. Saving of Legal Proceedings :—If, on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceeding of whatever nature by or against the dissolved Company is pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the resulting Company of the undertaking of the dissolved Company or of anything contained in this Order; but the suit, prosecution, appeal or other legal proceeding may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting Company in the same manner and to the same extent as it would or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved Company if this Order had not been made.

8. Provision with respect to Taxation :—All taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved Company before the appointed day shall be payable by the resulting Company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under the Income Tax Act, 1961, (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. Provisions respecting existing officers and other employees of the Dissolved Company.—Every whole time officer or other employee (excluding the directors of the company) employed immediately before the appointed day in the dissolved Company, shall, as from the appointed day, become an officer or other employee as the case may be, of the resulting Company and shall, hold his office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as he would have held the same under the dissolved Company, if this Order had not been made, and shall continue to do so unless and until his employment in the resulting Company, is duly terminated or until his remuneration and conditions or employment are duly altered by mutual consent.

10. Position of Directors :—Every director of the dissolved Company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director of the dissolved Company on the appointed day.

11. Dissolution of Punjab Semi-Conductor Devices Limited :—Subject to the other provisions of this Order, as from the appointed day, the Punjab Semi-Conductors Devices Limited shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims demands or proceedings against the dissolved Company or against a director or an officer, thereof in his capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

12. Registration of the Order by the Registrar of Companies :—The Company Law Board shall, as soon as may be after this Order is notified in the Official Gazette, send to the Registrar of Companies, Punjab, Chandigarh and Himachal Pradesh, Jullundur, a copy of this Order, on receipt of which the Registrar of Companies, Punjab, Chandigarh and Himachal Pradesh, Jullundur, shall register the Order on payment of the prescribed fees by the resulting Company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of this Order.

13. Memorandum and Articles of Association of the Resulting Company :—The Memorandum and Articles of Association of Punjab Wireless Systems Limited as they stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting Company.

By Order of the Company Law Board.

[24|21|83-CL.III]

S. M. DUGAR, Member, Company Law Board.

973 GI—84/2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984